भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1474
28 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 का कार्यान्वयन

1474. **श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के अंतर्गत परिकल्पित वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन वार्षिक कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति प्रदान करेगी;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थापित कच्चा इस्पात उत्पादन क्षमता, वास्तविक कच्चा इस्पात उत्पादन और वर्तमान उत्पादन स्तर तथा राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के अंतर्गत परिकल्पित लक्ष्य के बीच के अंतर का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल नहीं किए जाने के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का ग्रीन स्टील वि-कार्बनीकरण और बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य जैसी उभरती चुनौतियों के आलोक में राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को संशोधित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। इस्पात संयंत्रों की स्थापना, डाउनस्ट्रीम उद्योगों, निवेश, क्षमता विस्तार आदि के संबंध में निर्णय अलग-अलग इस्पात कंपनियों के प्रौद्यो-वाणिज्यिक विश्लेषण पर आधारित होते हैं। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में 2030-31 तक 300 मिलियन टन (एमटी) क्रूड स्टील निर्माण क्षमता और 255 एमटी क्रूड स्टील के उत्पादन की परिकल्पना की गई है। देश की क्रूड स्टील बनाने की क्षमता 2021-22 में 154.06 एमटी से बढ़कर 2025-26 में 220.41 एमटी हो गई है। इसी अवधि में क्रूड स्टील का उत्पादन 120.29 एमटी से बढ़कर 170.15 एमटी हो गया है।

*****